

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक : सी-

/बा०वि०परि०/लेखा/2017-18

दिनांक: 15 मई, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जो वित्त विभाग की वेबसाइट finance.up.nic.in तथा shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 3 (पृष्ठ-5) में उल्लेख है कि "वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय-व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेतर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।"

उक्तानुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय स्तर से जारी समस्त आवंटन आदेशों में अनुदान संख्या-49-आयोजनागत-मतदेय के स्थान पर मात्र अनुदान संख्या-49 पढ़ा जाय एवं तदनुसार ही धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक (वित्त)।

पुष्ठांकन सं० सी- 144 /तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उपसचिव, बाल विकास पुष्ठाहार, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि ऑनलाईन बजट पोर्टल पर भी उपरोक्त शासनादेशानुसार आवश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक (वित्त)।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक : सी- 144 / बा०वि०परि० / लेखा / 2017-18

दिनांक: 15 मई, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जो वित्त विभाग की वेबसाइट finance.up.nic.in तथा shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 3 (पृष्ठ-5) में उल्लेख है कि "वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय-व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेतर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।"

उक्तानुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय स्तर से जारी समस्त आवंटन आदेशों में अनुदान संख्या-49-आयोजनागत-मतदेय के स्थान पर मात्र अनुदान संख्या-49 पढ़ा जाय एवं तदनुसार ही धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक (वित्त)।

पृष्ठांकन सं० सी- _____ / तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उपसचिव, बाल विकास पुष्ठाहार, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि ऑनलाईन बजट पोर्टल पर भी उपरोक्त शासनादेशानुसार आवश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक (वित्त)।